

**मांग संख्या 66**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में आवासरत् पात्र छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 से 3**

पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के राज्य छात्रवृत्तियां हेतु ₹ 296.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां हेतु ₹ 1569.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 15,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 5 से 6**

जशपुर जिले के 05 अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंडों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु ₹ 46.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4225**

**मद क्रमांक 7 से 8**

जशपुर जिले के 05 अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंडों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु ₹ 1400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।